आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/11/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तावना वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। आवेदक द्वारा दोहरी जमाबंदी को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा- ओरा में स्थित खाता- 156 एवं 254, प्लाट- 626, 627, 629 कुल रकबा 85 डी. भूमि जमाबंदी उभय पक्षों के बीच कायम है, फलतः एक ही भूमि की जमाबंदी दोनों पक्षों के नाम से चल रही है जो उचित नहीं है। जमाबंदी का विवरण निम्नवत है: प्रथम पक्ष सोबरना महतो — 28.33 डी. सुशीला देवी — 20.00 डी. बद्री नारायण प्रसाद — 06.73 डी. राम किशुन प्रसाद — 10.63 डी दरोगी प्र० वर्णवाल — 09.50 डी. बीबी जैबुन — 09.44 डी कुल — 84.63 डी.	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष पुना मियाँ —— 39 डी. लारवो महतो —— 46 डी० कुल 85 डी. प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष के सदस्य मकान एवं सहन बनाकर काबिज है। 1910 के पुराने सर्वे में भी यह जमीन प्रथम पक्ष के रैयत गणपत राम के नाम खतियान में दर्ज था। वर्ष 1962 में मिनी सर्वे हुआ जिसमें प्रथम पक्ष के रैयत के जमीन को गलत तरीके से द्वितीय पक्ष के लारवो महतो एवं पुना ~~महतो~~ मियाँ द्वारा अपने-अपने नाम से खतियान में प्रविष्ट करवा कर दाखिल-खारिज करा लिया। प्रथम पक्ष के राम किशुन प्रजा वगै० द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-87 के तहत राजस्व न्यायालय, हजारीबाग में वाद सं० 535/67 दायर किया। उक्त वाद में दिनांक 28/05/69 को पारित आदेश द्वारा लारवो महतो एवं पुना मियाँ का दर्ज खाता सं० 156, 254	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3 1	2	3
	खाता 626, 627 एवं 629 को खारीज कर पुन: पुराने रैयत रामकिशुन प्रसाद वगैरह के नाम बहाल कर दिया। विरोधकारी रामकिशुन प्रसाद वगैरह द्वारा प्राप्त डिक्री के आधार पर नामांतरण वाद सं०- 3/76-77 के द्वारा नामांतरण करवा लिया। लेकिन द्वितीय पक्ष की जमाबंदी खारिज नहीं हुई और ऑनलाईन जमाबंदी कायम हो गई। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार 1967 से प्रचलनगत जमाबंदी कायम है जिसके सम्बन्ध कोई आपत्ति उस वक्त दायर नहीं की गई। झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों द्वारा यह न्यायादेश पारित किया गया है कि राजस्व न्यायालय द्वारा long standing जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। साथ ही राजस्व न्यायालय में पारित आदेश रिको महतो एवं गुलो खेदो (वाद सं०- 535/1967) नामक पक्षकार के लिये है। इसका लाभ प्रथम पक्ष नहीं उठा सकते है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला दोहरी जमाबंदी का है। राजस्व न्यायालय हजारीबाग द्वारा पारित आदेश (वाद सं०-535/67) के आधार पर प्रथम पक्ष के हित में नामांतरण हो गया परन्तु द्वितीय पक्ष का नाम खारिज नहीं हुआ। द्वितीय पक्ष का यह दावा कि वाद सं० 535/67 प्रथम पक्ष पक्षकार नहीं है, परन्तु उनके द्वारा उक्त वाद के आदेश की प्रति दाखिल नहीं किया गया। उक्त विवेचन के आलोक में आवेदक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये राजस्व न्यायालय हजारीबाग द्वारा वाद सं०-535/67 में CNT Act की धारा-87 में पारित आदेश के आलोक में मोटा पंजी में सुधार करने का आदेश दिया जाता है। वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बगोदर को भेजें। 23/11/2[illegible] LRDC	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.11 16:47:49 +05:30
Location: 192.168.43.238